"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 29, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2012 (अग्रहायण 29, 1934)

क्रमांक-14967/वि. स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012), जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 19 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012

विषय-सूची

खण्ड

विवरण

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

खाद्य सुरक्षा के प्रावधान

3. अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा सामान्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार.
4. गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता.
5. बच्चों के लिए पोषाहार सहायता.
6. छात्रावासों तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता.
7. बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन.

अध्याय-तीन

विशेष समूहों के लिए पात्रता

8. विशेष समूहों के लिए पात्रताएं.
9. आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिये पोषाहार सहायता.

अध्याय-चार

भूख की दशा में तत्काल राहत

10. भूख की दशा में राहत प्रदाय करने हेतु मार्गदर्शिका.
11. भूख की दशा में राहत प्रदाय करने का स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व.
12. भूख से तत्काल राहत.

अध्याय-पांच

राज्य सरकार की योजनाएं

13. पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन.

अध्याय-छः
राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व

14. राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व.

अध्याय-सात
अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान

15. परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के संबंध में मार्गदर्शिका जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति.
16. अन्त्योदय, प्राथमिकता तथा सामान्य परिवारों की सूची का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन.

अध्याय-आठ
महिला सशक्तिकरण

17. राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए अट्ठारह वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी.

अध्याय-नौ
स्थानीय निकायों की भूमिका

18. स्थानीय निकायों की भूमिका.

अध्याय-दस
शिकायत निवारण प्रणाली

19. आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली.
20. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना.

अध्याय-ग्यारह
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

21. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति.

अध्याय-बारह
पारदर्शिता एवं जवाबदेही

22. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन.
23. स्थानीय निकाय द्वारा सामयिक सामाजिक अंकेक्षण करना.
24. निगरानी समिति.

अध्याय-तेरह

अपराध एवं शास्ति

25. अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन.
26. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड.

अध्याय-चौदह

विविध

27. खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.
28. अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन.
29. अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति.
30. नियम बनाने की शक्ति.
31. विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड का [illegible] हना.
32. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.
33. अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व.
34. अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण में नहीं.

अनुसूची-एक
अनुसूची-दो

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 19 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012

राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. सन् 2012) कहलायेगा. — **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— — **परिभाषाएं.**

(क) "आंगनबाड़ी" से अभिप्रेत है भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत धारा 4, धारा 5 की उप-धारा (1) एवं धारा 7 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थापित एक बाल देख-रेख एवं विकास केन्द्र ;

(ख) "अन्त्योदय परिवार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अंतर्गत पात्रता के प्रयोजन के लिए धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन इस रूप में पहचान किये गए परिवार ;

(ग) "आश्रम" से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल ;

(घ) "केन्द्र सरकार" से अभिप्रेत है भारत सरकार ;

(ङ) "केन्द्रीय पूल" से अभिप्रेत है खाद्य सामग्रियों का भण्डार जो—

(एक) न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा उपाप्त;

(दो) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं जिसमें आपदा राहत तथा ऐसी अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं, के अधीन आवंटित किये जाने हेतु संधारित ;

(तीन) उप-खण्ड (दो) में निर्दिष्ट योजनाओं हेतु आरक्षित रखा गया हो.

(च) "जिलाधीश" से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खण्ड (iक) में यथा परिभाषित जिलाधीश ;

(छ) "निराश्रित व्यक्ति" से अभिप्रेत है पुरुष, स्त्री या बालक जिनके पास खाद्य तथा आहार हेतु अपेक्षित संसाधन, साधन तथा सहारा नहीं है जो ऐसी स्थिति में उन्हें जीवित रहने के लिए समर्थ बना सके, जिसके फलस्वरूप उनका जीना कठिन हो या भूख से मरना पड़े ;

(ज) "आपदा" का वही अर्थ होगा, जैसा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 2 के खण्ड (घ) में उसके लिए यथा समनुदेशित है;

(झ) "पात्र परिवार" से अभिप्रेत है या तो अन्त्योदय परिवार या एक प्राथमिक परिवार या एक सामान्य परिवार;

(ञ) "अपवर्जित परिवार" से अभिप्रेत है परिवार जो इस अधिनियम के अधीन किसी पात्रता के लिये पात्र नहीं हैं ;

(ट) "उचित मूल्य की दुकान" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अन्तर्गत जारी एक आदेश द्वारा आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने हेतु अनुज्ञप्त दुकान ;

(ठ) "खाद्यान्न" से अभिप्रेत है चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके अन्य सम्मिश्रण, जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल है ;

(ड) "सामान्य परिवार" से अभिप्रेत है ऐसे परिवार जो न तो अन्त्योदय परिवार है न प्राथमिकता परिवार और न ही अपवर्जित परिवार ;

(ढ) "आवासहीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है तथा जो ऐसे सड़क किनारे पटरियों पर, या ऐसे अन्य स्थानों में या खुले प्रांगण में रहते हैं, जिसमें आवासहीनों, भिखारियों के लिए बने आश्रय या ऐसे अन्य स्थलों में निवास करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ;

(ण) "छात्रावास" से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्रों हेतु संचालित आवासीय सुविधा ;

(त) "स्थानीय निकाय" में सम्मिलित हैं, पंचायत, नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकारी या अन्य कोई निकाय, चाहे उसे जिस किसी भी नाम से जाना जाए, जो संविधान के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है या विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अंदर स्व-शासन हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रशासकीय सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय ;

(थ) "भोजन" से अभिप्रेत है अन्य कल्याणकारी योजनाओं में यथा विहित गरम पका हुआ अथवा तुरंत खाने योग्य योजन या घर ले जाने हेतु राशन सामग्री ;

(द) "न्यूनतम समर्थन मूल्य" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित मूल्य, जिस पर केन्द्रीय पूल अथवा राज्य पूल के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार और उसकी एजेन्सियों द्वारा किसानों से खाद्यान्न की खरीदी की जाती है ;

(ध) "गैर अधिसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जो अधिसूचित नहीं हैं ;

(न) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन जारी एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना ;

(प) "अन्य कल्याणकारी योजनाओं" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनाएं, जिनके अन्तर्गत खाद्यान्न या भोजन का प्रदाय योजनाओं के भाग के रूप में किया जाता हो ;

(फ) "विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अन्तर्गत पात्रताओं के प्रयोजन हेतु धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत इस रूप में पहचान किये गये परिवारों का समूह ;

(ब) "नि:शक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन नि:शक्त के रूप में परिभाषित व्यक्ति ;

(भ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(म) "प्राथमिकता वाले परिवार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अंतर्गत पात्रताओं के प्रयोजन हेतु धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत इस रूप में पहचान किये गये परिवार ;

(य) "पक्का मकान" से अभिप्रेत है ऐसे मकान जिनकी छत सीमेन्ट कांक्रीट से निर्मित हो;

(कक) "राशन कार्ड" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा एक आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया एक दस्तावेज ;

(खख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची;

(गग) "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र ;

(घघ) "योजना" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु निर्मित कोई योजना या कार्यक्रम ;

(ङङ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार ;

(चच) "राज्य पूल" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय पूल से अलग राज्य सरकार द्वारा उपार्जित एवं संधारित खाद्य सामग्रियों का भण्डार ;

(छछ) "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से अभिप्रेत है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने हेतु बनायी गयी प्रणाली ;

(जज) "निगरानी समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धारा 24 के अन्तर्गत गठित एक समिति ;

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं, परन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या अन्य किसी सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं.

अध्याय-दो

खाद्य सुरक्षा के प्रावधान

अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा सामान्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार.

3. (1) धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 15 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार एवं सामान्य परिवार ऐसे खाद्य पदार्थ की ऐसी मात्रा ऐसी रियायती दरों पर प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जो अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट है.

(2) इस धारा के अधीन उपबंधित पात्रताएं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आएंगी.

गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता.

4. धारा 13 तथा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता निम्नलिखित हेतु पात्र होंगी :—

(क) अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा करने हेतु गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के पश्चात् छः माह तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन.

(ख) योजना के अनुसार मातृत्व लाभ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिया जाएगा, जैसा कि उस योजना में विहित किया जाए.

बच्चों के लिए पोषाहार सहायता.

5. (1) धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, चौदह वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चें को उसकी पोषाहार आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता होगी :—

(क) छः माह से छः वर्ष के आयु समूह के बच्चों की दशा में स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु अनुसार निःशुल्क उपयुक्त भोजन, ताकि अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट मानक पोषाहार की पूर्ति हो सके :

परंतु छः माह से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्णतः स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा.

(ख) छः वर्ष से चौदह वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की दशा में, सरकार, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक, अनुसूची-दो में यथाविनिर्दिष्ट पोषाहार मानक की पूर्ति हेतु, विद्यालय के अवकाश दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन, निःशुल्क मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में संदर्भित प्रत्येक विद्यालय, एवं आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता के लिए सुविधाएं होंगी:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार, यदि आवश्यक समझा जाए, तो शहरी क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए केन्द्रीय पाकशाला की सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा.

छात्रावासों तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता.

6. धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, छात्रावास या आश्रम में निवास करने वाले प्रत्येक छात्र ऐसे खाद्य पदार्थों को ऐसी मात्राओं में तथा ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाए, प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.

बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन.

7. धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा करने हेतु स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण से ग्रस्त बालकों की पहचान कर, उन्हें निःशुल्क उपयुक्त भोजन प्रदाय करेगी.

अध्याय-तीन

विशेष समूहों के लिए पात्रता

विशेष समूहों के लिए पात्रताएं.

8. निम्नलिखित विशेष समूहों को निम्नानुसार पात्रता होगी, अर्थात् :—

(क) **निराश्रित**—समस्त निराश्रित व्यक्ति, योजना के अनुसार एवं ऐसी रीति से, जैसा कि ऐसी योजना में विहित किया जाए, प्रतिदिन निःशुल्क भोजन हेतु पात्र होंगे;

(ख) **आवासहीन**— प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति, योजना के अनुसार एवं ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन हेतु पात्र होंगे;

(ग) **प्रवासी**— राज्य सरकार प्रवासियों और उनके परिवारों को, जो किसी भी स्थान पर वर्तमान में निवास कर रहे हों, इस अधिनियम के अधीन उन्हें पात्रताओं का दावा करने में समर्थ बनाने के लिए ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाए, प्रयास करेगी;

(घ) खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन पात्रताएं, केवल तभी लागू होंगी, जब वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी जाएं :

परन्तु कोई व्यक्ति या परिवार, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन लाभ के पात्र नहीं होंगे:

(ङ) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन पात्रताओं को अधिसूचित करेगी.

आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिये पोषाहार सहायता.

9. यदि राज्य सरकार की राय में आपात या आपदा की स्थिति विद्यमान है, तो प्रभावित सभी परिवारों को, ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाए, तीन माह की अवधि के लिए प्रतिदिन, दो समय का भोजन, निःशुल्क उपलब्ध करायेगी.

अध्याय-चार
भूख की दशा में तत्काल राहत

भूख की दशा में राहत प्रदाय करने हेतु मार्गदर्शिका.

10. राज्य सरकार, भूख से पीड़ित या भूख के सदृश दशाओं में रह रहे सभी व्यक्तियों, परिवारों, समूहों या समुदायों, यदि कोई हों, को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए, मार्गदर्शिका तैयार करेगी तथा अधिसूचित करेगी.

भूख की दशा में राहत प्रदाय करने का स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व.

11. धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचित मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र, जैसा की अधिसूचित किया जाए, के अंतर्गत भूख से पीड़ित या भूख के सदृश दशाओं में रह रहे ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, समूहों या समुदायों, यदि कोई हों, को भूख की दशा में राहत प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी होंगे.

भूख से तत्काल राहत.

12. धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 11 के अधीन पहचान किये गये सभी व्यक्तियों, परिवारों, समूहों या समुदायों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, अर्थात् :—

(क) पहचान किये जाने की तारीख से, छः माह तक, ऐसी योजना के अनुसार तथा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाए, प्रतिदिन दो समय का निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जायेगा;

(ख) अन्य कोई राहत, जो राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो.

अध्याय-पांच
राज्य सरकार की योजनाएं

पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन.

13. अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अध्याय-चार के अधीन आने वाली पात्रताओं की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ सम्मिलित होगा—

(क) धारा 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को, निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना;

(ख) धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना;

(ग) धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कक्षा आठवीं तक के छात्रों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना;

(घ) धारा 6 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छात्रों को खाद्य सामग्री प्रदाय करने हेतु योजना;

(ङ) धारा 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुपोषित बच्चों को भोजन प्रदाय करने हेतु योजना;

(च) धारा 8 एवं अध्याय-चार में यथा विनिर्दिष्ट निराश्रित एवं आवासहीन व्यक्तियों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा दालभात केन्द्रों को स्थापित किये जाने हेतु योजना;

(छ) धारा 9 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट आपात और आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को नि:शुल्क भोजन प्रदाय करने हेतु योजना;

(ज) अध्याय-चार के अंतर्गत पहचान किये गये व्यक्तियों, निराश्रित एवं आवासहीन व्यक्तियों को, नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय निकायों द्वारा संधारित किये जाने वाले खाद्यान्न के ऐसे सुरक्षित भंडार संधारित किये जाने हेतु योजना, जैसा कि ऐसी योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु राज्य सरकार [illegible] के प्र[illegible] की [illegible] छः माह के भीतर ऐसी समस्त योजनाओं [illegible]

[illegible]

[illegible] का वित्तीय [illegible]रदायित्व

राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व.

14. (1) इस अधिनियम [illegible] अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट [illegible] परिवार, इस अधिनियम में अथवा इस निमित्त संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट ऐसे खाद्य पदार्थों की ऐसी मात्रा, जो भी अधिक हो, के लिए पात्र होंगे.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में विनिर्दिष्ट कोई परिवार, इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इस निमित्त संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट ऐसे खाद्य पदार्थ ऐसे मूल्य पर, जो भी कम हो, प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.

(3) इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (7) अथवा इस धारा की उप-धारा (1) या (2) के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, पात्र परिवारों या खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की पात्रता या खाद्य पदार्थों के मूल्यों के विद्यमान मापदण्ड को रूपांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया जाएगा.

(4) राज्य सरकार, समस्त अतिरिक्त व्यय जो कि इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (7) अथवा इस धारा की उप-धारा (1) या (2) के प्रवर्तन के फलस्वरूप उपगत हो सकेगा, के वहन के लिए उत्तरदायी होगी.

अध्याय-सात

अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान

परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के संबंध में मार्गदर्शिका जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति.

15. (1) उप-धारा (3) एवं उप-धारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय परिवारों तथा प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान हेतु मार्गदर्शिका तैयार करेगी तथा ऐसी मार्गदर्शिका को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेगी.

(2) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, समय-समये पर, इस अधिनियम के अधीन उनकी पात्रता के उद्देश्य से विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान हेतु मार्गदर्शिका तैयार करेगी, तथा ऐसी मार्गदर्शिकाओं को राजपत्र में अधिसूचित करेगी:

परंतु विशेष कमजोर सामाजिक समूहों में निम्नलिखित परिवार निर्दिष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार ;

(ख) समस्त परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है;

(ग) समस्त परिवार जिसके मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं;

(घ) समस्त परिवार जिसके मुखिया एक नि:शक्त व्यक्ति हैं;

(ङ) समस्त परिवार जिसके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं, जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है;

(च) समस्त परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर हैं;

(छ) परिवारों का कोई अन्य समूह, जैसा कि विहित किया जाए.

(3) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्रवर्गों के सभी परिवार प्राथमिकता वाले परिवार निर्दिष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार, खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र होंगे;

(ख) भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार;

(ग) सीमान्त एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार;

(घ) समस्त परिवार, जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) के उपबंधों के अन्तर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं;

(ङ) समस्त परिवार, जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के उपबंधों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं.

(4) धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, उप-धारा (2) और उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्रताओं के संबंध में परिवारों के अपवर्जन का मानदंड समय-समय पर विहित कर सकेगी:

परन्तु निम्नलिखित श्रेणियों के सभी परिवार अपवर्जित परिवार के रूप में निर्दिष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) समस्त ऐसे परिवार, जिनके मुखिया या परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता है;

(ख) गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि धारक समस्त ऐसे परिवार;

(ग) समस्त ऐसे परिवार जो नगरीय क्षेत्रों में ऐसा पक्का मकान धारित करते हैं जो एक हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का हो तथा/या स्थानीय निकाय के प्रचलित नियमों के अनुसार संपत्ति कर के भुगतान हेतु दायी हों;

(घ) विहित किए गए मानदंडों के अनुसार ऐसे अन्य परिवार, जिन्हें अपवर्जित किया जा सकेगा.

(5) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में संदर्भित मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार, समय-समय पर, अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों, विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान करेगी:

परंतु विशेष कमजोर सामाजिक समूहों के समस्त परिवार अन्त्योदय परिवार के रूप में निर्दिष्ट किये जाएंगे:

परंतु यह और कि उप-धारा (4) के अधीन विहित मानदंड के अनुसार अपवर्जित परिवार अन्त्योदय परिवार या प्राथमिकता परिवार या विशेष कमजोर सामाजिक समूह के रूप में निर्दिष्ट नहीं किये जाएंगे.

(6) अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की सूची को राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, अद्यतन किया जाएगा.

(7) परिवारों की सूची, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होकर उसके अतिरिक्त होगी.

अन्त्योदय, प्राथमिकता तथा सामान्य परिवारों की सूची का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन.

16. अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की सूची को राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से जैसी कि विहित की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा तथा प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.

अध्याय-आठ
महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए अट्ठारह वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी.

17. (1) प्रत्येक पात्र परिवार में, परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला, जो अट्ठारह वर्ष की आयु से कम न हो, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जायेगी.

(2) किसी भी समय, जहां किसी परिवार में कोई महिला या अट्ठारह वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु की कोई महिला न हो, किन्तु अट्ठारह वर्ष की आयु से कम आयु की कोई

महिला सदस्य हो, तो राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा, और महिला सदस्य, अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने पर परिवार की मुखिया होगी तथा उसका नाम उस पुरुष सदस्य के स्थान पर राशन कार्ड में प्रतिस्थापित किया जाएगा.

अध्याय-नौ
स्थानीय निकायों की भूमिका

स्थानीय निकायों की भूमिका.

18. इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय, निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे दायित्व जिसे, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा स्थानीय निकायों को समनुदेशित करे, जिसमें अन्य बातों के साथ, सम्मिलित होगा—

(एक) पात्र परिवारों की पहचान.

(दो) यथाविहित पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना.

(तीन) उचित मूल्य दुकानों की ऐसी रीति से निगरानी एवं पर्यवेक्षण, जैसा विहित किया जाए.

(चार) धारा 23 के अधीन विहित मार्गदर्शिका के अनुसार उचित मूल्य दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण करना.

(ख) निराश्रितों और आवासहीन व्यक्तियों का ऐसी रीति में चिन्हांकन एवं उनको सहायता उपलब्ध कराना, जैसा कि विहित किया जाए.

(ग) स्थानीय निकाय, ऐसे कर्तव्यों, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु जवाबदेह होंगे, जैसा कि ऐसे योजना के अधीन उनको समनुदेशित किया जाए, जैसा कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये.

अध्याय-दस
शिकायत निवारण प्रणाली

आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली.

19. राज्य सरकार, एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी जिसमें कॉल सेन्टर, हेल्पलाईन, नोडल अधिकारी की पदस्थापना या ऐसे अन्य तंत्र, जैसा कि विहित किया जाए, सम्मिलित हो सकेगा.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना.

20. इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों और व्यक्तियों को पात्रताएं उपलब्ध कराने के प्रावधान को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया जायेगा तथा समस्त ऐसी सेवाएं, ऐसी रीति में तथा ऐसी समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी, जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाये.

अध्याय-ग्यारह
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति.

21. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम में इसके लिए परिकल्पित भूमिका के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु उत्तरोत्तर प्रयास करेगी.

(2) सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) उचित मूल्य दुकानों तक समस्त खाद्य सामग्री को द्वार पहुंच सेवा द्वारा प्रदाय करना;

(ख) सभी स्तरों में होने वाले संव्यवहारों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपयोजन की रोकथाम करने के क्रम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों, जिसमें संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण भी सम्मिलित है, का प्रयोग।

(ग) इस अधिनियम के अधीन हितग्राहियों हेतु उचित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्रुटिरहित चिन्हांकन हेतु "आधार" का उपयोग करना;

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;

(ङ) उचित मूल्य दुकानों को अनुज्ञप्ति प्रदाय करने में सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों जैसे पंचायत, स्व-सहायता समूह, सहकारिता को प्राथमिकता देना; तथा निजी व्यापारियों को प्रतिबंधित करना;

(च) समय के अंतराल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सामग्रियों का विस्तार (विविधता);

(छ) खाद्य सामग्रियों का पर्याप्त सुरक्षित भण्डार (बफर स्टॉक) संधारित करना.

अध्याय-बारह
पारदर्शिता एवं जवाबदेही

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन.

22. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं योजनाओं से संबंधित सभी अभिलेख, ऐसी रीति में सार्वजनिक पटल (क्षेत्र) पर रखे जाएंगे तथा सामान्य जन के निरीक्षण हेतु खुले रखे जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए.

स्थानीय निकाय द्वारा सामयिक सामाजिक अंकेक्षण करना.

23. प्रत्येक स्थानीय निकाय या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित मूल्य दुकान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं के संचालन का सामयिक सामाजिक अंकेक्षण करेगा अथवा करवायेगा तथा उसके निष्कर्षों (परिणामों) को सार्वजनिक करेगा तथा ऐसी रीति में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जैसी विहित की जाए.

निगरानी समिति.

24. (1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं उसके उचित संचालन तथा उक्त प्रणाली में कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अन्तर्गत बनाये गये, तत्समय प्रवृत्त, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 में विनिर्दिष्ट अनुसार राज्य, जिला, विकासखण्ड और उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना करेगी, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के वर्ग को सम्यक् प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें ऐसे सदस्य सम्मिलित होंगे जैसा विहित किया जाये.

(2) निगरानी समिति, निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण;

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी उल्लंघन की कलेक्टर को लिखित में, [illegible] सूचना देना;

(ग) उसके द्वारा प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग या किसी उल्लंघन की कलेक्टर को लिखित में, सूचना देना.

(घ) उपरोक्त खण्ड (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट किसी उल्लंघन की लिखित में सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर, धारा 25 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे विषय की जांच के लिए अग्रसर होगा.

अध्याय-तेरह
अपराध एवं शास्ति

अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन.

25. (1) इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत समस्त पात्र परिवारों को पात्रताएं प्रदान करने संबंधी समस्त कार्यवाही, समय-समय पर यथा संशोधित, तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के द्वारा विनियमित होगी.

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, तथा संसद द्वारा निर्मित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के क्रियान्वयन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, यदि एवं जब भी आवश्यक समझे, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन कर सकेगी एवं ऐसा संशोधन राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी.

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी.

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड.

26. यदि कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड हेतु दायी होगा.

अध्याय-चौदह
विविध

खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.

27. इस अधिनियम के प्रावधान, राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने से प्रवारित नहीं करेंगे.

अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन.

28. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि उसके (इस अधिनियम के) द्वारा प्रयुक्त किये जाने योग्य शक्तियां, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों एवं सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जो कि उक्त अधिसूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, इसके (राज्य सरकार के) अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेंगी.

अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति.

29. (1) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची-एक या अनुसूची-दो में संशोधन कर सकेगी तथा इसके बाद अनुसूची-एक या अनुसूची-दो जैसी भी स्थिति हो, तद्नुसार संशोधित कर दी गयी समझी जायेगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

30. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंधित कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार.

(ख) धारा 15 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवारों को उनकी पात्रताएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिये उनकी पहचान करने हेतु मार्गदर्शिका.

(ग) रीति जिसमें धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पात्र परिवारों की सूचियों को अद्यतन किया जाएगा.

(घ) धारा 19 के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली.

(ङ) रीति जिसमें धारा 22 के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक पटल में रखा जायेगा एवं सामान्य जन के निरीक्षण हेतु खुला रखा जायेगा.

(च) रीति जिसमें धारा 23 के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा.

(छ) धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निगरानी समिति के गठन का विवरण.

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है अथवा जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा प्रावधान बनाया जाना है.

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये या जारी किये गये प्रत्येक नियम, अधिसूचना और मार्गदर्शिका इसके बनाये जाने या जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड का बना रहना.

31. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर विद्यमान योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड, उस तिथि तक प्रवृत्त एवं प्रभावी रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड उपांतरित/विनिर्दिष्ट नहीं कर दिये जाते:

परन्तु उक्त योजनाएं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदण्ड के अन्तर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्स्थानी प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया या की गई मानी जायेगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य या कार्यवाही द्वारा जब तक अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता है तब तक प्रवृत्त रहेंगे.

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

32. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान बना सकेगी जो कि उसे कठिनाई के निराकरण हेतु आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान होने के पश्चात् इस धारा के अन्तर्गत कोई भी आदेश जारी नहीं होगा.

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व.

33. इस अधिनियम के अन्तर्गत पात्र प्राथमिकता परिवारों या सामान्य परिवारों या अन्य समूहों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा खाद्य सामग्री या भोजन के प्रदाय व्यवस्था के विफल होने के कारण उद्भूत हानि, नुकसान या क्षतिपूर्ति, चाहे जो भी हो, जहां प्रदाय व्यवस्था की ऐसी विफलता, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूचाल या कोई अन्य दैवीय कृत्य जैसी दशाओं से हुई हो, के लिए किसी दावे हेतु राज्य सरकार दायी नहीं होगी.

अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण में नहीं.

34. इस अधिनियम के अंतर्गत पात्रताएं, इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य योजना या विधि का किसी भी तरह अल्पीकरण नहीं करेंगी.

अनुसूची-एक
(धारा 3 देखिये)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पात्रता

स. क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1.	अन्त्योदय परिवार	खाद्यान्न	35 किग्रा प्रतिमाह	रु. 1 प्रति किग्रा
		आयोडाइज्ड नमक	2 किग्रा प्रति परिवार	नि:शुल्क
		काला चना*	2 किग्रा प्रति परिवार	रु. 5.00 प्रति किग्रा
		दाल**	2 किग्रा प्रति परिवार	रु. 10.00 प्रति किग्रा
2.	प्राथमिकता परिवार	खाद्यान्न	35 किग्रा प्रतिमाह	रु. 2 प्रति किग्रा
		आयोडाइज्ड नमक	2 किग्रा प्रति परिवार	नि:शुल्क
		काला चना*	2 किग्रा प्रति परिवार	रु. 5.00 प्रति किग्रा
		दाल**	2 किग्रा प्रति परिवार	रु. 10.00 प्रति किग्रा
3.	सामान्य परिवार	खाद्यान्न	15 किग्रा प्रतिमाह	चावल रु. 9.50 प्रति किग्रा अन्य खाद्यान्न हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से अनधिक.

टीप :— (1) * काले चने की पात्रता, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय परिवारों तथा प्राथमिकता वाले परिवारों को होगी.

(2) ** दाल की पात्रता राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय परिवारों एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को होगी.

अनुसूची-दो
[धारा 4(क), 5(1) तथा 7 देखिये]

पोषाहार मानक

पोषाहार मानक : एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बालकों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित "घर ले जाने वाले राशन" या पौष्टिक गरम पका हुआ भोजन या रेडी टू ईट भोजन एवं मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत निम्न एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए पोषाहार मानक निम्नानुसार है :

स. क्र.	वर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी (किलो कैलोरी में)	प्रोटीन (ग्राम में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बच्चे (6 माह से 3 वर्ष तक)	घर ले जाने वाला राशन	500	12-15
2.	बच्चे (3 से 6 वर्ष तक)	सुबह का नाश्ता और गरम पका हुआ भोजन	500	12-15
3.	बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक), जो कुपोषण से ग्रस्त हैं.	घर ले जाने वाला राशन	800	20-25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गरम पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गरम पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती एवं शिशुवती माताएं	घर ले जाने वाला राशन	600	18-20

टीप — 1. अनुशंसित भोजन भत्ते के 50 प्रतिशत के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्व से फोर्टीफाईड किया हुआ शक्तिपूरक खाद्य.

2. प्रचलित खाद्य विधियों के अनुसार भोजन तैयार किया जायेगा.

3. विनिर्दिष्ट कैलोरी, प्रोटीन मात्रा एवं सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त संतुलित एवं पोषणयुक्त भोजन प्रदान करने हेतु पोषाहार मानक अधिसूचित किया गया है.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

संविधान का अनुच्छेद 38 उपबंधित करता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित करेगा. संविधान का अनुच्छेद 47, अन्य बातों के साथ, यह उपबंधित करता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा कर लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा. इन संवैधानिक बाध्यताओं के अनुसरण में खाद्य सुरक्षा का प्रदाय किया जाना लंबे समय से शासन की योजनाओं के लक्ष्य में रहा है. तथापि, नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सरकार के प्रयासरत होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना निरंतर एक चुनौती बनी हुई है. जनसंख्या की तथा विशेष कर महिलाओं और बच्चों की पोषाहार प्रास्थिति में, राज्य में मानव संसाधन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के क्रम में सुधार की आवश्यकता है. प्रस्तावित विधान खाद्य सुरक्षा की समस्या को सम्बोधित करने के विचार एवं रीति के प्रचलित कल्याणकारी दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन करते हुए उसे अधिकार आधारित रूप प्रदान करता है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र के विस्तार के अलावा प्रस्तावित विधान खाद्य सामग्री को तथा अन्य खाद्य पदार्थों की पात्र मात्राओं को अत्यधिक रियायती मूल्य पर प्राप्त करने हेतु पात्र हितग्राहियों को विधिक अधिकार प्रदान करेगा.

इस अधिनियम का उद्देश्य, छत्तीसगढ़ के समस्त पात्र परिवारों को भूख से मुक्त एवं खाद्य की कमी से युक्त अन्य अभाव से मुक्त होने के उनके अधिकार के अनुसरण में तथा सम्मान के साथ पर्याप्त खाद्य सुनिश्चित कराना है. राज्य के समस्त नागरिकों को विशेषकर गरीबों एवं समाज के अधिक कमजोर वर्गों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने को प्रत्याभूत करना इस विधि का उद्देश्य है.

प्रस्तावित विधेयक से उपरिवर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति आशयित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 18 दिसम्बर 2012

पुन्नूलाल मोहले
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक 2012 के यथाप्रस्तुत पारित होने पर विधेयक के विभिन्न खण्डों में हितग्राहियों के लिए दी जाने वाली खाद्य सहायता हेतु राज्य शासन का वार्षिक व्यय भार 2311.25 करोड़ रुपये अनुमानित है.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक 2012 के यथाप्रस्तुत पारित होने पर विधेयक के निम्नलिखित खण्डों में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनायें हैं—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**

खण्ड 1 (3)— यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

2. **पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन—**

खण्ड 13 — अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अध्याय-चार के अधीन आने वाली पात्रताओं की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा.

3. **राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व**

खण्ड -14 (3) — इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (7) अथवा इस धारा की उप-धारा (1) या (2) के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, पात्र परिवारों या खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की पात्रता या खाद्य पदार्थों के मूल्यों के विद्यमान मापदण्ड को उपांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया जाएगा.

4. **खण्ड 28— अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन**

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि उसके (इस अधिनियम के) द्वारा प्रयुक्त किये जाने योग्य शक्तियां, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों एवं सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जो कि उक्त अधिसूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, इसके (राज्य सरकार के) अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकेंगी.

5. **खण्ड 29— अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति**

राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची-एक या अनुसूची-दो में संशोधन कर सकेगी.

6. **खण्ड 30— नियम बनाने की शक्ति**

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी.

7. **खण्ड 32— कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति**

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान बना सकेगी जो कि उसे कठिनाई के निराकरण हेतु आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित— 2012.